प्रेषक,

सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/228

दिनांकः 04 नवम्बर,2022

विषयः विद्यालयों की त्रुटिपूर्ण जिओलोकेशन को पुनः अपलोड कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्ष 2023 की परीक्षा हेतु केन्द्र निर्धारण के निमित्त निर्गत शासनादेश संख्याः 2155/15–7–2022–1(14)/2022 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7, लखनऊ दिनांकः 19 अक्टूबर,2022 में विद्यालयों के मध्य दूरी के निर्धारण हेतु विद्यालयों की जिओलोकेशन मोबाइल एप के माध्यम से परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। अपलोड कराये गये जिओलोकेशन के परीक्षण से यह संज्ञान में आया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा त्रुटिपूर्ण जिओलोकेशन अपलोड करा दी गयी है जिससे इन विद्यालयों की जिओलोकेशन उनके मूल स्थान से भिन्न स्थान पर प्रदर्शित हो रही है। ऐसे त्रुटिपूर्ण जिओलोकेशन वाले विद्यालयों की एक सूची परिषद की वेबसाइट पर सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों के पोर्टल पर अपलोड करा दी गयी है।

सभी जिला विद्यालय निरीक्षकगणों को निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में विहित व्यवस्था के अनुसार जिओलोकेशन अपलोड कराये जाने हेतु राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यो की गठित समिति के माध्यम से वे इस सूची से सम्बन्धित समस्त विद्यालयों के जिओलोकेशन को दिनांकः 07–11–2022 तक परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करा दें। जिओलोकेशन अपलोड कराने हेतु उन्हें इस आशय का भी स्पष्ट निर्देश दे दिये जायें कि वे विद्यालय के प्रांगण में खड़े होकर ही मोबाइल एप द्वारा जिओलोकेशन अपलोड करायें जिससे विद्यालय का बिल्कुल सही–सही जिओलोकेशन अपलोड हो सके तथा परीक्षा केन्द्र आवंटन में विद्यालयों एवं परीक्षा केन्द्र के मध्य दूरियों में कोई विसंगति उत्पन्न न हो सके।

उक्त के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों की जिओलोकेशन का भी सत्यापन अपने स्तर से करा लिया जाय जिससे परीक्षा केन्द्र निर्धारण किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न न हो सके। प्रत्येक विद्यालय के भौतिक संसाधनों एवं उनके जिओलोकेशन सम्बन्धी सूचना के वेबपेज का एक्सेस आपके पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। त्रुटिपूर्ण जिओलोकेशन के कारण यदि वर्ष 2023 की परीक्षा के परीक्षा केन्द्र निर्धारण में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि/विसंगति होगी तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी उक्त कार्य की महत्ता एवं समयबद्धता के दृष्टिगत इन्हें पूर्ण शुद्धता के साथ सम्पादित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(दिव्यकान्त शुक्ल)
सचिव।

पृष्ठाकन संख्याः मा0शि0प0/सिस्टम सेल/228(1-3)

दिनांकः 04 नवम्बर,2022

उक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति, शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।

2– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

3– अपर सचिव, मा0शि0प0, क्षे0का0, मेरठ/बरेली/वाराणसी/प्रयागराज तथा गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें तथा इसके साथ ही इसका सतत् अनुश्रवण करते हुए वस्तुस्थिति से मुझे भी अवगत करायें।

(दिव्यकान्त शुक्ल)
सचिव।

Scanned with CamScanner